(143)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/1158 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.10.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 578/अपील/2015-16.

---

1. भंवरलाल
2. लक्ष्मण सिंह
3. श्यामलाल
4. काशीराम
5. दशरथ सिंह

सभी आत्मज स्व. श्री मायाराम वर्मा
निवासीगण ग्राम हिनोतिया आलम,
तह. हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 04.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक भंवरलाल आ. स्व. मायाराम एवं अन्य निवासी ग्राम हिनोतिया आलम तहसील हुजूर द्वारा तहसीलदार, वृत्त-3, तहसील हुजूर, भोपाल के प्र. क्र. 145/अ-6/15-16 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2016 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक

12.05.2016 को आदेश पारित कर अधीनस्थ विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 04.10.2017 को आदेश पारित करते हुए अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि पूर्वोक्त अवस्था में किसी भूमिके निष्क्रांत संपत्ति होने से उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार ऐसी भूमि पर विद्यमान हो सकता है। निष्क्रांत संपत्ति वह संपत्ति होती है, जिसे वर्ष 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन में पाकिस्तान से आये हिंदुओं को वहां छोड़ी गई भूमि के एवज में अन्य भूमि केन्द्र शासन द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसी भूमि उनकी स्वयं की भूमि हो जाती है। इसी आधार पर राजस्व अभिलेखों में उनका नामांतरण स्वीकृत होता है। वर्तमान प्रकरण में भी स्व. श्री मायाराम के पूर्ववर्ती क्रेताओं के नाम निष्क्रांत संपत्ति प्राप्त होने के उपरांत अभिलेखों में बहैसियत भूमिस्वामी इन्द्राज था एवं इसी हैसियत से उन्होंने खसरा क्र. 257 एवं 272 वाली भूमि स्व. श्री मायाराम को विक्रय की थी एवं भूमि क्रय करने के पश्चात् से मृत्यु होने तक उनका नाम राजस्व अभिलेखों में बहैसियत भूमिस्वामी इन्द्राज रहा तथा मृत्यु उपरांत भूमि वसीयती उत्तराधिकार के तहत आवेदकगण को प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में वे फौती नामांतरण कराने के अधिकारी हैं, किंतु इस विधिक एवं तथ्यात्मक बिंदु को अनदेखा कर अपना आदेश पारित करने में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने त्रुटि की है। इस कारण उनके द्वारा पारित निगरानीग्रस्त एवं पूर्ववर्ती आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(2) तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि वसीयत में प्राप्त भूमि में से खसरा क्र. 258 वाली भूमि स्व. श्री मायाराम की पैत्रक संपत्ति थी, जो उन्हें उनके पिता से प्राप्त हुई थी एवं ऐसा भूमि कभी भी निष्क्रांत संपत्ति की सूची में सम्मिलित नहीं थी, फिर भी ऐसी भूमि को भी निष्क्रांत संपत्ति मानते हुए आदेश पारित करने में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में भी उनके द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में दर्शाया है कि ग्राम हिनोतिया आलम की प्रश्नाधीन भूमि के निष्क्रांत संपत्ति होने से भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा इसके अंतरण/नामांतरण पर रोक लगाई गई है, जबकि ऐसे किसी आदेश का हवाला उनके द्वारा अपने आदेशों में नहीं दर्शाया गया है, मात्र यह कह देने से कि केंद्र सरकार द्वारा रोक लगाई गई है, उनका कार्य पूर्ण नहीं होता है। उनका दायित्व था कि वे इस संबंध में ऐसे आदेश की प्रति प्रकरण में संलग्न कर स्थिति स्पष्ट कर दें, किंतु उनके द्वारा ऐसा न कर इस तरह का आदेश पारित करने में घोर त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस कारण भी त्रुटिपूर्ण है कि खसरे में ऐसी भूमियों के हस्तांतरण पर रोक होने से नामांतरण किया जाना संभव नहीं है। वसीयत उत्तराधिकार का ही एक प्रकार होता है। वसीयत से कोई भूमि अंतरित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में भूमि के अहस्तांतरणीय दर्ज होने पर भी वसीयत के आधार पर नामांतरण को रोका नहीं जा सकता है। विशेषकर उस परिस्थिति में जबकि ऐसा नामांतरण स्व. मायाराम के पांचों पुत्रों के नाम किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भी उनके द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा नामांतरण पर कोई रोक नहीं लगी है, फिर भी उनके द्वारा ऐसे तथ्यों का विवरण प्रस्तुत कर सरसरी तौर पर अपीलों को निरस्त किया है, जबकि उन्हें विधि एवं तथ्यात्मक बिंदुओं का युक्तियुक्त रूप से मूल्यांकन करते हुए अपना आदेश पारित करना था, किंतु उनके द्वारा ऐसा न कर अपीलों को सरसरी तौर पर निरस्त करने में घोर त्रुटि की है। ऐसी अवस्था में भी ऐसे आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगरानीग्रस्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने एवं बोलते हुए आदेश की परिधि में न आने से निरस्त किये जाने योग्य है। अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर वसीयत के आधार पर उनके पिता के नाम के स्थान पर उनके नाम का नामांतरण राजस्व अभिलेख में स्वीकृत किये जाने एवं उन्हें राजस्व अभिलेखों में बहैसियत भूमिस्वामी इन्द्राज किये जाने संबंधित निर्देशों सहित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

4/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने जिन तीन सर्वे नम्बरों पर नामांतरण चाहा था, उनमें से केवल दो नंबरों पर निष्क्रांत सम्पत्ति संबंधी टीप खसरे में दर्ज है। ऐसी स्थिति में तीसरे सर्वे नम्बर पर तहसील न्यायालय को विधिवत नामांतरण करने पर विचार करना था, लेकिन तहसील न्यायालय द्वारा उस तीसरे सर्वे नम्बर को अन्य दो सर्वे नम्बरों के साथ मिलाकर नामांतरण नहीं किया गया, जिससे तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत न होकर त्रुटिपूर्ण आदेश है तथा दोनों अपीलीय न्यायालयों ने भी इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया। अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जावे कि जिस सर्वे नम्बर पर कोई विवाद नहीं है, उस पर नियमानुसार नामांतरण करे तथा शेष सर्वे नम्बरों पर भी जो जांच की कार्यवाही चल रही है, उसे समयसीमा में पूर्ण करे।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2017 अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2016 निरस्त किये जाते हैं। उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुनः आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय की ओर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर